

//2//

पृ.क्रमांक/4/शिकायत/अना.अनु/फा.550/134

भोपाल, दिनांक 29/08/2020;

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- (1) प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, मंत्रालय, भोपाल म.प्र.।
- (2) क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं उज्जैन संभाग जबलपुर म.प्र.।
- (3) कलेक्टर, जिला मंडला म.प्र.।
- (4) उप संचालक (विज्ञप्त) स्थानीय कार्यालय।
- (5) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चिकित्सालय मंडला की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस को संबंधित चिकित्सक को सर्व कराते हुए पावती संचालनालय को भेजे तथा इसकी छायाप्रति संबंधित चिकित्सक की पदस्थापना स्थल पर नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर पालन प्रतिवेदन, 15 दिवस के अंदर भेजना सुनिश्चित करें अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही की जाने पर आपकी जिम्मेदारी होगी।
- ✓(6) प्रभारी एम्.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि विभागीय बबेसाईट पर अपलोड करावें।
- (7) आदेश नस्ति।

(डॉ० वीणा सिन्हा)

अपर संचालक(शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

// 3 //

आरोप-पत्र

डॉ० सुरेन्द्र बरकडे चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नैनपुर जिला मंडला। के विरुद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत निम्न आरोप अधिरोपित किया जाता है :-

आरोप क्रमांक -1

यह कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मंडला ने पत्र क्रमांक/स्था. विज्ञप्त/2020/2123 दिनांक 15.06.2020 द्वारा अवगत कराया है कि आप आपने कार्य स्थल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नैनपुर जिला मंडला से दिनांक 15.06.2010 से दिनांक 09.06.2011 तक बिना आवेदन दिये व अवकाश स्वीकृति कराये अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है।

आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 उप नियम (1) (i),(ii),(iii) तथा नियम, 7 के अनुरूप न होकर कर्तव्य हीनता की श्रेणी में आता है। इस प्रकार आपने उक्त नियमों का पालन न कर, अपने कार्य के प्रति कर्तव्यपरायण न रहते हुए अपने आपको अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

(डॉ० वीणा सिन्हा)

अपर संचालक(शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

अभिकथन-पत्र

डॉ० सुरेन्द्र बरकडे चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नैनपुर जिला मंडला।
के विरुद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 14 (3)
के अंतर्गत निम्न आरोप अधिरोपित किया जाता है :-

आरोप क्रमांक, 1 के लिये :-

यह कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मंडला ने पत्र क्रमांक/स्था.
विज्ञप्त/2020/2123 दिनांक 15.06.2020 द्वारा अवगत कराया है कि आप आपने कार्य स्थल
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नैनपुर जिला मंडला से दिनांक 15.06.2010 से दिनांक 09.06.2011
तक बिना आवेदन दिये व अवकाश स्वीकृति कराये अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है।

आपकी पदस्थापना आम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए की गई
हैं। आपका यह उत्तरदायित्व है कि आप अपने कर्तव्यस्थल पर नियमित एवं समय पर उपस्थित
होकर अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन कुशलतापूर्वक करें। किंतु आप कर्तव्यस्थल से बिना सक्षम
अधिकारी की अनुमति अथवा स्वीकृति प्राप्त किये लंबे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं।
आपका यह कृत्य शासकीय सेवक के लिए निर्धारित आचरण के अनुरूप नहीं है।

आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 उप नियम
(1) (i), (ii), (iii) तथा नियम, 7 के अनुरूप न होकर कर्तव्य हीनता की श्रेणी में आता है। इस
प्रकार आपने उक्त नियमों का पालन न कर, अपने कार्य के प्रति कर्तव्यपरायण न रहते हुए अपने
आपको अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

(डॉ० वीणा सिन्हा)

अपर संचालक(शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

// 5 //

: अभिलेखों की सूची :

डॉ० सुरेन्द्र बरकडे चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नैनपुर जिला मंडला।
के विरुद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम
14 (3) के अंतर्गत अधिरोपित आरोप के संबंध में अभिलेखों की सूची :-

- 1 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मंडला ने पत्र क्रमांक/स्था.विज्ञप्त
/2020/2123 दिनांक 15.06.2020
- 2- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मंडला ने पत्र क्रमांक/स्था.विज्ञप्त/
2018/446 दिनांक 03.07.2018

(डॉ० वीणा सिन्हा)
अपर संचालक(शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

: गवाहों की सूची :

डॉ० सुरेन्द्र बरकडे, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नैनपुर जिला
मंडला। के विरुद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966
के नियम 14 (3) के अंतर्गत अधिरोपित आरोप के संबंध में गवाहों की सूची :-

- 1- स्थापना लिपिक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मंडला।

(डॉ० वीणा सिन्हा)
अपर संचालक(शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश